पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

**परिपत्र**

**परिपत्र सं. : पीएफआरडीए/2025/08/एसयूपी-सीजी-एसजी/02** **14 सितम्बर, 2025**

**प्रति,**
एनपीएस एवं यूपीएस के सभी हितधारकों को

**विषय: 01.04.2025 से 31.08.2025 के बीच सेवा में सम्मिलित हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक बार का विकल्प प्रदान करना ताकि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चयन कर सकें – संबंध में।**

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. F. No. FX-1/3/2024-PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अधिसूचित की गई है। साथ ही, पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन) विनियम, 2025 भी 19.03.2025 को अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा 02.09.2025 को अधिसूचित किया गया है।

2. योजना में हाल ही में हुए स्पष्टीकरणों और विकासों के मद्देनजर, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 01.04.2025 से 31.08.2025 के बीच सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने प्रारंभ में एनपीएस का विकल्प चुना था, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्थानांतरित होने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा।

3. यह विकल्प **30 सितम्बर, 2025** तक प्रयोग किया जा सकता है, जो अन्य श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों के लिए पहले से अधिसूचित विस्तारित अंतिम तिथि के अनुरूप है।

4. यह परिपत्र पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Priyanka Gupta
Digitally signed by Priyanka Gupta
Date: 2025.09.14 11:39:51 +05'30'

**(प्रियंका गुप्ता)**
महाप्रबंधक

**ई-500, टॉवर-ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली- 110 029**
**E-500, Tower-E, 5th Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110 029**
**दूरभाष / PHONE NO: 011 - 40717900 ई-मेल/ E-MAIL: dept.hrd@pfrda.org.in**